

# उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि.

Udaipur Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd.

Goverdhan Vilas, Ahmedabad Road, Udaipur (Raj.) Ph.0294-2640188, 7427811222,  
7427811444 email-saras@milkunionudaipur.com

UDUSS/Mktg./21-22/3540

Date- 01/12/2021

## सरस बूथ (केबिन) लगाने हेतु आवेदन

राजस्थान सरकार द्वारा बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु उदयपुर नगर निगम, राजस्थान आवासन मण्डल, ग्रामीण नगर पालिका व पंचायत क्षेत्र में निम्न स्थानों पर सरस बूथ आवंटन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। **नगर निगम क्षेत्र :-** (1) रोशन नगर भील समाज का नोहरा सें.14, **आवासन मण्डल क्षेत्र :-** (1) सें.14 आरएचबी कॉलोनी, 2 बटा सरस डेयरी के पीछे वाली रोड के एक तरफ डिपी के पास उदयपुर (2) सें.14, आई ब्लॉक, राज दुध डेयरी के सामने रोड के एक तरफ कोने पर उदयपुर (3) सें.14, एस.आई ब्लॉक पार्क के निकट नेला रोड (4) सें.14, एस.आई ब्लॉक कला जी बावजी चौराहा पार्क के पास कोने पर, नेला रोड (5) सें.14, एच ब्लॉक, झील रेजिडेंसी के कोने पर होटल मेनेजमेन्ट इंस्टीट्यूट के सामने (6) सें.14, मैन रोड सेटेलाइट हॉस्पिटल के सामने कोने पर 2/1 रोड (7) साउथ उपखण्ड प्रथम उदयपुर बोर्ड के निकट घाटी पर दक्षिण विस्तार रोड (8) ए-ब्लॉक मोड पर दक्षिण विस्तार मैन रोड (9) बी-80, मकान के सामने, सेन्टल पार्क निकट आर एस बी कॉलोनी (10) सी-ब्लॉक मं.नं.सी-26 के सामने रोड के दुसरी तरफ (11) ए-ब्लॉक ए-27 मकान के सामने दुसरी तरफ गुलमोर के पेड के नीचे (12) पारस तिराहा, राजस्थान आवासन मण्डल ऑफिस के पास (13) सविना खेडा, राजस्थान आवासन मण्डल की कॉलोनी के पास सविना खेडा (14) सें.14 गोवर्धन अपार्टमेन्ट 5 बटा रियान स्कूल के आगे, **ग्राम पंचायत लकडवास उदयपुर :-** (1) झामर कोटडा मैन रोड, लकडवास (2) झामर कोटडा रोड रामा फॉस्फेट कंपनी के आगे योगेश्वर महादेव लिंक रोड (3) बाघवडा नेचर पार्क के पास झामर कोटडा मैन रोड **ग्राम पंचायत बलिचा :-** (1) आई.आई.एम.इंस्टीट्यूट गेट के पास (2) बलिचा बाईपास के एक तरफ बलिचा, **ग्राम पंचायत नाई :-** (1) नाई मैन रोड नया बाजार में सामुदायिक भवन के पास मंदिर के बाहर (2) राइस मिल के पास प्रोपल्टी रोड, ग्राम पंचायत नाई, **ग्राम पंचायत टीडी :-** (1) टीडी बस स्टेण्ड टीडी (2) टीडी पेटोल पम्प के पास टीडी, **ग्रामीण क्षेत्र पंचायत समिति मावली :-** (1) न्यायालय के बाहर मावली (2) रेल्वे स्टेशन मावली (3) गायरियावास बस स्टेण्ड मावली (4) ईण्टाली चौराहा मावली (5) शनि मंदिर के पास मावली (6) गायत्री नगर मावली, **नगर पालिका फतहनगर :-** (1) तिल्लम संघ फैंक्टी के बाहर, फतहनगर रोड, **ग्राम पंचायत गोमुन्दा :-** (1) बाईपास चौराहा, गोमुन्दा (2) टोलनाका के पास गोमुन्दा (3) बस स्टेण्ड सायरा, गोमुन्दा (4) बस स्टेण्ड चौराहा पर जसवन्तगड, गोमुन्दा (5) बस स्टेण्ड तरपाल, गोमुन्दा (6) विष्णु होटल के पास, सेमटाल, गोमुन्दा, **ग्राम पंचायत कोटडा :-** (1) गांधी चौक कोटडा, (2) चारभुजा मंदिर गली, कोटडा (3) देवला चौराहा, कोटडा (4) जुडा बस स्टेण्ड, कोटडा (5) देवला निचला चौराहा, कोटडा (6) जोगीवर बस स्टेण्ड, कोटडा (7) बेकरिया बस स्टेण्ड, कोटडा, चयनित आवेदनकर्ता को निकाय द्वारा स्वीकृत स्थान पर स्वयं के व्यय पर 6x6 फिट का एक केबिन बनाकर रखना, विद्युत कनेक्शन लेकर फिज लगाना होगा। बूथ का मासिक किराया आवेदनकर्ता द्वारा देय होगा। साथ ही दुग्ध संघ, उदयपुर में रु. 5000/- सुरक्षा राशि एवं संबंधित स्थानीय निकाय/ नगर निगम में आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करावें। बूथ स्थापित करने का स्थान, बूथ आवंटन हेतु आरक्षण (SC/ST, महिला व विकलांग) व विस्तृत जानकारी विभाग की साईट पर तथा कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। इच्छुक व्यक्ति बूथ आवंटन हेतु निर्धारित आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर मय दस्तावेजों के दिनांक 08.12.2021 तक स्वयं उपस्थित हो कार्यालय में जमा करावें, तदुपरांत आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किये जावेगे, तथा पुराने आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। बूथ हेतु आवेदन पत्र कार्यालय से अथवा वेबसाईट से डाउनलोड किये जा सकते हैं। - फोन न 0294-2640188, वेब साईट [www.milkunionudaipur.com](http://www.milkunionudaipur.com)

प्रतिलिपी :-

1. मैसर्स शिवा ऐडवर्टाइजिंग, बापू बाजार, उदयपुर को देकर लेख है कि उक्त सूचना को दैनिक स्थानीय दैनिक भास्कर में उचित स्थान पर प्रकाशित करावें।
2. उप-प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

प्रबंध संचालक

प्रबंध संचालक

उदयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि.

बूथ आवंटन हेतु -आवेदन पत्र

श्रेणी :- सामान्य/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ महिला/ विकलांग ( प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करे।)

शॉप एजेन्सी/ बूथ आवंटन/ पार्लर/ हाईवे पार्लर - आवेदन जत्र

आवेदक का  
फोटो

नाम आवेदक श्री/ सुश्री :-.....

पिता/ पति का नाम :-.....

जन्म दिनांक :-.....

1. आवेदक का पता : वर्तमान पता:-.....

2. स्थाई पता:-.....

(स्थायी पते का प्रमाण पत्र - मूल निवास / राशन कार्ड / वोटर आईडी / अन्य.....)

दूरभाष नं. लैण्डलाइन :-..... मोबाईल नं. ....

वर्तमान व्यवसाय :-..... पहचान पत्र .....

एफ.एस.एस.आई लाईसेंस :-..... (प्रति संलग्न करे)

बूथ का प्रस्तावित स्थान का पूर्ण पता :-.....

बूथ के लिये स्थल मानचित्र संलग्न करें .....

मुझे उदयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ द्वारा दूध एवं दुग्ध पदार्थों विक्रय व बूथ के संचालन हेतु निर्धारित शर्तें पूर्ण रूप से मान्य है तथा मैं इनका नियमित रूप से पालन करुगा, इसके लिये मैं दुग्ध संघ के साथ अनुबन्ध करने को तैयार हूँ। निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करने पर मेरी एजेन्सी निरस्त की जा सकेगी है।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

केवल कार्यालय उपयोग हेतु  
सहायक विक्रय प्रतिनिधि की टिप्पणी

1. प्रार्थना पत्र प्राप्त करने की दिनांक : ..... वापसी जमा दिनांक .....
2. क्या प्रस्तावित स्थान पर अनुबन्धित गाडी जा सकती है - 1-हाँ 2-नहीं
3. क्या प्रार्थी के पास फिज की सुविधा उपलब्ध है - 1-हाँ 2-नहीं
4. प्रस्तावित स्थल के पास स्थित बूथ / शॉप एजेन्सियों / पार्लर का विस्तृत विवरण -

क्र. सं.	बूथ / शॉप एजेन्सी संख्या (लीटर)	प्रस्तावित स्थल से दूरी (मीटर)	प्रतिदिन की औसत बिक्री
1			
2			

5. एजेन्सी आवंटन के बारे में रिपोर्ट : .....

संघ अधिकृत निरीक्षक

वर्तमान में बूथ / शॉप एजेन्सी स्वीकृत / अस्वीकृत किया जाता है। कृपया धरोहर राशि रुपये ..... जमा करावें।

धरोहर राशि रुपये ..... अग्रिम बूथ किराया राशि ..... डी.डी.नं. ....  
राशि ..... दिनांक ..... रसीद  
संख्या ..... दिनांक ..... शॉप एजेन्सी संख्या .....

क्षेत्र संख्या ..... आवंटित करते हुए दिनांक ..... से सप्लाई प्रारम्भ की  
स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संघ अधिकृत अधिकारी

## नियम व शर्तः—

1. सरस केबिन 6x6 फिट का केबिन आवेदक को स्वयं के खर्च पर बनाना होगा ।
2. सरस डेयरी उदयपुर की आवश्यक औपचारिकता पूर्ण करने के साथ 5000 / रु अमानत राशि डेयरी कार्यालय में जमा करनी होगी ।
3. सरस बूथ हेतु स्थान आवंटन के पश्चात सबन्धित क्षेत्र की स्थानिय निकाय की आवश्यक औपचारिकता पूर्ण करवानी होगी
4. सरस केबिन पर विद्युत कनेक्शन स्वयं के खर्च पर लेना होगा ।
5. डीप फ्रिज आवेदक के स्वयं के खर्च पर लेना होगा ।
6. सरस केबिन पर सरस डिजाईन का कलर करवाना होगा। व समय समय स्वयं के स्तर से मरम्मत करवानी है ।
7. नगर निगम व सरस डेयरी के नियम शर्तो व अनुबंधो का पूर्ण रुप से पालन करना होगा ।
8. जिस आवेदक के नाम से केबिन का आवंटन हुआ है केबिन का संचालन उसी को करना होगा व केबिन को किराये देना व बेचने पर कानूनी कार्यवाही कर केबिन को निरस्त किया जाएगा ।
9. सरस केबिन पर अन्य व्यावसायिक कि गतिविधिया जैसे चाय नास्ता, मादक पदार्थ का विक्रय प्रतिबंधित हो ।
10. निकट भविष्य में डेयरी व निगम के परिवर्तित नियम शर्तो का पालन करना होगा ।
11. सरस दूध व दुग्ध उत्पाद का विक्रय निर्धारित टारगेट के अनुरूप करना होगा ।
12. पुराने आवेदको पुनः आवेदन करने की आवश्यकता है पुराने किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ।
13. आवेदन कर्ता को स्वयं उपस्थित होकर आवेदन करना है ।
14. आवेदक केवल एक स्थान पर ही आवेदन कर सकता हैं

हस्ताक्षर